सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय,
University,
लोक भवन, जयपुर – 302006
Lok Bhavan, Jaipur

क्रमांक : एफ.1(1)आरबी / 2024 पार्ट–3 / 3071
दिनांक : 27 मई, 2026

आदेश

डॉ. देव स्वरूप को लोक भवन के आदेश क्रमांक 3440–41 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर का प्रथम कुलगुरू नियुक्त किया गया था एवं आदेश क्रमांक 4850–51 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का कार्यवाहक कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

डॉ. प्रेमलता सिंगारिया, जयपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 14.06.2025 के माध्यम से "राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में सहायक प्रोफेसर भर्ती वर्ष 2011–12 व चयन वर्ष 2013–14 में चयन में अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय" के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 (यथा संशोधित) की धारा 10(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सचिवालय के आदेश कमांक 3948–49 दिनांक 22.07.2025 के माध्यम से प्रकरण की वस्तुस्थिति की विस्तृत जाँच करने हेतु प्रो. (डॉ.) भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरू, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के संयोजन में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था।

उक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 18.02.2026 में डॉ. देव स्वरूप, तत्कालीन कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को नियम विरुद्ध, यू.जी.सी. के प्रावधानों के विरूद्ध, मनमाने तरीके से चयन समिति की बैठकें करने, उनकी मिनिट्स बनाने, सिण्डीकेट की बैठकें आयोजित करके उन बैठकों के मिनिट्स प्रचलित पद्धति से हटकर Forged & False दस्तावेज रचने आदि सभी कार्य कपटपूर्ण (Fraudulently) और छलयोजिता (Manepulation) करने के संबंध में दोषी माना गया है।

प्रकरण में उक्त जांच रिपोर्ट के साथ अभिलेख का अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि डॉ. देव स्वरूप, तत्कालीन कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा उक्त भर्ती चयन प्रक्रिया के दौरान इतिहास जैसे वर्णनात्मक विषय की चयन में Domain Knowledge – Teaching Skills तथा Interview Performance में तीन चयनित अभ्यर्थियों को 50 में से 50, एक के 50 में 49. 50 और दो के 50 में 49 अंक दिये गये साथ ही वनस्पति विज्ञान में अपात्र डॉ० अमित कोटिया को साक्षात्कार के लिए पात्र बनाये रखने एवं अनुचित लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से तथा डॉ० प्रेमलता सिंगारिया को अनुचित हानि पहुंचाने की नियत से General Information Notice No- Regr-/2013

दिनांक 21.09.2013 को Forged – False दस्तावेज रचकर अधिसूचित किया गया। जिससे प्रमाणित होता है कि डॉ० देवस्वरूप, तत्कालीन कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा वर्ष 2013 में की गई सभी नियुक्तियों में भारी अनियमितताएँ और धांधलियाँ की गई जिसके कारण सभी नियुक्ति की चयन प्रक्रिया संदिग्ध और संदेहपूर्ण हैं।

प्रकरण में उपर्युक्त क्रम में उक्त जांच प्रतिवेदन की अनुशंषा/निष्कर्ष में वर्णित आरोपों के संबंध में डॉ. देव स्वरूप, तत्कालीन कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को दिनांक 11.05.2026 को सांय 05.00 बजे व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। डॉ. देव स्वरूप द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन में वर्णित आरोपों के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त सुनवाई के दौरान कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि उक्त आरोपों का खण्डन हो सके। जिसके फलस्वरूप प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये गये है।

उक्त प्रमाणित आरोपों को देखते हुए डॉ. देव स्वरूप को कुलगुरू, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर एवं कार्यवाहक कुलगुरू, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर के पद पर रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। डॉ. देव स्वरूप को कुलगुरू, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर एवं कार्यवाहक कुलगुरू, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर के पद से हटाने के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार का परामर्श प्राप्त हो चुका है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर एवं विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2023 की धारा 12 एवं विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 (यथा संशोधित) की धारा 21क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. देव स्वरूप, कुलगुरू, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर को कुलगुरू, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर एवं कार्यवाहक कुलगुरू, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर के पद से तत्काल प्रभाव से हटाता हूँ।

हस्ता0/–
(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.1(1)आरबी / 2024 पार्ट–3 / 3072 दिनांक : 27 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, लोक भवन, जयपुर।
6. डॉ. देव स्वरूप, कुलगुरू, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर एवं कार्यवाहक कुलगुरू, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. कुलसचिव, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. कुलसचिव, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. पृथ्वी)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान